<u>न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर</u>

<u>अपील संख्या :— 145 / 14 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956)(R.C.M.S . no 2014/00046)</u>

1. महेशचंद पुत्र मोहनसिंह
2. मोहनसिंह पुत्र

   जाति जाट निवासी नगला नाऊ तहसील व जिला भरतपुर।
3. नारायन पुत्र सोनीराम
4. रविन्द्रसिंह
5. हरिओम
6. गोविन्दसिंह
7. जीतेन्द्रसिंह

   पिस0 ओमप्रकाश
8. शीलादेवी पत्नी ओमप्रकाश

   जाति जाट निवासी नगला नाऊ तहसील व जिला भरतपुर।
9. कमलसिंह उर्फ गजपतसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति जाट निवासी लगला नाऊ तहसील व जिला भरतपुर।
10. रतनसिंह पुत्र सोनीराम
11. रघुवीरी पत्नी रतनसिंह
12. रणधीरसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति जाट निवासी नगला नाऊ तहसील व जिला भरतपुर।
13. सत्यभानसिंह उर्फ सत्यदेव पुत्र भगवानसिंह जाति जाट निवासी नगला नाऊ तहसील व जिला भरतपुर।

.............अपीलान्टस

<u>बनाम</u>

1. श्यामलाल
2. बाबूलाल
3. जीवाराम

   पिसरान पातीराम जाति लोधा निवासी नगला दूल्हेराम तहसील व जिला भरतपुर।
4. पोहपसिंह
5. ताराचंद
6. मोहनसिंह

   पिसरान सरदार जाति लोधा निवासी नगला दुल्हेराम तहसील व जिला भरतपुर।
7. गोरनसिंह
8. देशराज
9. हिम्मत

   पिसरान स्व0 फूलसिंह जाति जाट निवासी नगला दूल्हेराम तहसील व जिला भरतपुर।
10. सोरनसिंह पुत्र नारायनसिंह जाति लोधा निवासी नगला दूल्हेराम तहसील व जिला भरतपुर।
11. नन्दकिशोर अग्रवाल पुत्र नैमीचंद गुप्ता जाति वैश्य निवासी सी—48 रणजीत नगर भरतपुर।
12. ऊषा अग्रवाल पत्नी नन्दकिशोर अग्रवाल जाति वैश्य निवासी सी—48 रणजीत नगर भरतपुर।

Web Copy - Not Official

13. हिमांशु अग्रवाल पुत्र नन्दकिशोर अग्रवाल जाति वैश्य निवासी सी–48 रणजीत नगर भरतपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दिनांक 6.3.2003 प्रकरण संख्या 32/03 फूलसिंह बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थितिः–

1. श्री विजयसिंह फौजदार वकील अपीलान्टस।
2. श्री हनुमान प्रसाद वकील रैस्पोडेन्टस।
3. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता वकील रैस्पोडेन्टस।

निर्णय

दिनांकः– 20.8.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 6.3.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 9 के पिता फूलसिंह न व रैस्पोडेन्ट संख्या 10 के पिता नारायनसिंह ने एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट के तहत उपखण्डाधिकारी भरतपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि उनकी खातेदारी के रकबा ख0न0 **10** रकबा 30 ऐयर, ख0नं0 **11** रकबा 34 ऐयर, ख0नं0 **308** रकबा 26 ऐयर, ख0नं0 **61** रकबा 56 ऐयर, ख0नं0 **315** रकबा 18 ऐयर, ख0नं0 **55** रकबा 61 ऐयर, ख0नं0 **45** रकबा 46 ऐयर, ख0नं0 **44** रकबा 34 ऐयर, ख0नं0 **316** रकबा .40 ऐयर वाके ग्राम नगला दुल्हेराम के अनुसार नक्शा ट्रेस में दिशाओं व मेड को सही करते हुये रकबा के अनुसार नक्शे में दुरूस्ती की जावे। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.3.2003 पारित करते हुये रैस्पोडेन्टस का प्रार्थना पत्र इस प्रकार स्वीकार किया गया कि ".........रिपोर्ट तहसीलदार से हम सन्तुष्ठ है। अतः मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी/रैस्पोडेन्टस के आराजी खसरा नम्बर हाल 10 व 11 में ऊपरी मेड में 10 मीटर व हाल खसरा नम्बर 61 की पूर्व से पश्चिम मेड 10 मीटर व इसकी ही दूसरी मेड 10 मीटर तथा खसरा नम्बर 55 की ऊपरी मेड 10 मीटर, खसरा नम्बर 44 की ऊपरी मेड 10 मीटर, खसरा नमम्बर 43 की ऊपरी मेड 10 मीटर नक्शा किश्तवार में इसी ग्राम की सीमा को बढाया जाकर नक्शा दुरूस्ती व अंकित खसरा नम्बरान की आकृति बढाया जाकर नक्शा दुरूस्ती की जावे। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 9 के पिता फूलसिंह न व रैस्पोडेन्ट संख्या 10 के पिता नारायनसिंह ने एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट के तहत उपखण्डाधिकारी भरतपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि उनकी खातेदारी के रकबा ख0नं0 10, 11, 43, 44, 55, 61, 308, 315, 316, 345 नगला दूल्हेराम तहसील भरतपुर में स्थित है। यह रकबा गांव वहनेरा व नगला दूल्हेराम की सीमा में स्थित है दौराने सैटिलमेन्ट साविक रिकार्ड के मुताबिक उनका हाल जमाबन्दी में रिकार्ड सही है लेकिन सैटिलमेन्ट कर्मचारियों ने साविक के मुताबिक जो हाल नक्शा बनाया है वो गलत है। इस नक्शे के आधार पर उनका रकबा कम बैठता है जबकि उनका रकबा रिकार्ड के अनुसार पूरा है व वो मौके पर मुताबिक रिकार्ड काबिज है। इस कारण हाल नक्शे में रिकार्ड के अनुसार दुरूस्ती की जावे। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार भरतपुर से रिपोर्ट मंगाकर बिना अपीलान्टान को सुनवाई का मौका दिये दिनांक 6.3.2003 को नक्शा में दुरूस्ती के आदेश दे दिये और इस आदेश के आधार पर हाल नक्शे में दुरूस्ती हो गई। यह कि उपखण्डाधिकारी के आदेश दिनांक 6.3.2003 के आधार पर अपीलान्टान के खातेदारी के खसरा नम्बर जो कि रैस्पोडेन्ट के खसरा नम्बरों से लगते हुये नगला दूल्हेराम व बहनेरा की सीमा पर ग्राम वहनेरा में स्थित है खसरा नम्बर 608, 609, 610, 612, 613, 616, 694/1747 ग्राम बहनेरा की सीमाये छोटी हो गई व उनका खातेदारी का रकबा मुताबिक नक्शा कम हो गया । इस आधार पर आदेश उपखण्डाधिकारी दिनांक 6.3.2003 काबिले मंसूखी है। अपीलाधीन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत भी है। तहत अदालत के आदेश बाबत नक्शा दुरूस्ती से अपीलान्टान के खातेदारी की आराजी प्रभावित हो रही है जिसके कारण तरमीम होने के बाद नवीन नक्शे में अपीलान्टान का रकबा कम हो रहा है इस कारण अपीलान्ट को सुनवाई का मौका देना चाहिऐ था। बिना अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया है। यह कि धारा 136 एल आर एक्ट के तहत नक्शा दुरूस्ती का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 136 के तहत सैटिलमेन्ट कार्य के दौरान रिकार्ड में हुई गलती को दोनो पक्षकारों की सहमति के आधार पर दुरूस्त करने का प्रावधान है। नक्शा में दुरूस्ती धारा 136 एल आर एक्ट के तहत नहीं की जा सकती। यह कि तहत न्यायालय ने साविक व हाल नक्शे का भली–भांति अवलोकन नहीं किया है मुताबिक साविक व हाल नक्शा अपीलान्टान का रकबा भी नक्शे के अनुसार कम बैठता है जबकि रिकार्ड में अपीलान्टान का रकबा पूर्ण है इस बाबत अपीलान्टान द्वारा कई बार पैमायश करा चुके है। अधीनस्थ न्यायालय के बाद नक्शे में हुई तरमीम के बाद तो अपीलान्टान का रकबा और भी कम हो गया । तहत न्यायालय द्वारा यदि अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिया जाता तो यह समस्त तथ्य न्यायालय के सामने आते इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा काबिले मंसूखी है। यह कि आज्ञा उपखण्डाधिकारी भरतपुर दिनांक 6.3.2003 एकतरफा में पारित आज्ञा है जिसमें अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे दिनांक 9.11.2014 को पक्षकार के मध्य विवाद होने पर अपीलान्ट को इस आज्ञा की जानकारी हुई। तत्काल उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया और दिनांक 11.11.2014 को नकल प्राप्त हुई। तदोपरान्त वकील से सम्पर्क कर बिना किसी देरी के अपील पेश की गई है। अतः तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिसके लिये पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.3.2003 निरस्त फरमाया जाकर दिनांक 6.3.2003 से पूर्व की स्थिति बहाल रखी जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.3.2003 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि उक्त प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 9 के पिता फूलसिंह न व रैस्पोडेन्ट संख्या 10 के पिता नारायनसिंह ने एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट के तहत उपखण्डाधिकारी भरतपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि उनकी खातेदारी के रकबा ख0न0 **10** रकबा 30 ऐयर, ख0नं0 **11** रकबा 34 ऐयर, ख0नं0 **308** रकबा 26 ऐयर, ख0नं0 **61** रकबा 56 ऐयर, ख0नं0 **315** रकबा 18 ऐयर, ख0नं0 **55** रकबा 61 ऐयर, ख0नं0 **45** रकबा 46 ऐयर, ख0नं0 **44** रकबा 34 ऐयर, ख0नं0 **316** रकबा .40 ऐयर वाकै ग्राम नगला दुल्हेराम के अनुसार नक्शा ट्रेस में दिशाओं व मेड को सही करते हुये रकबा के अनुसार नक्शे में दुरूस्ती की जावे। जिस पर तहत अदालत ने नियमानुसार तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई है। रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा बाद जांच मौका निरीक्षण यह स्पष्ट किया है कि ग्राम नगला दूल्हेराम का रिकार्ड हाल व गत एवं मौका अनुसार मिलान किया गया ग्राम बहनेरा व नगला दूल्हेराम की जो सीमा पर लगे हुये आराजी खसरा नम्बर हाल 61/0.56, 55/0.61, 44/0.34, 43/0.46, 10/0.30, 11/0.34 मौके पर गत रिकार्ड के अनुसार मौजूद है तथा हाल रिकार्ड में रकबा गत के अनुसार सही है तथा प्रार्थी/रैस्पो का कब्जा भी गत रिकार्ड अनुसार ही है, लेकिन वर्तमान खसरा नम्बरान की आकृति बनाने में भिन्नता की गई है। आकृति का रूप छोटे आकार का बनाया गया है। जिससे प्रार्थीयान/रैस्पो0 की गत व मौका की स्थिति हाल नक्शे से रकबा बरारी करने पर काफी भिन्नता आती है। अतः ग्राम नगला दूल्हेराम की उत्तर से दक्षिण सीमा जो ग्राम बहनेरा से लगती है तथा उपरोक्त खसरा नम्बरान में इसी ग्राम के नक्शा किश्तवार में निम्न प्रकार है हाल खसरा नम्बर 10 व 11 में ऊपरी मेड में 10 मीटर व हाल खसरा नम्बर 61 की पूर्व से पश्चिम मेड 10 मीटर व इसकी ही दूसरी मेड 10 मीटर तथा खसरा नम्बर 55 की ऊपरी मेड 10 मीटर, खसरा नम्बर 44 की ऊपरी मेड 10 मीटर , खसरा नम्बर 43 की ऊपरी मेड 10 मीटर नक्शा किश्तवार में इसी ग्राम की सीमा को बढाया जाकर नक्शा दुरूस्ती व अंकित खसरा नम्बर नम्बरान की आकृति बढाया जाकर नक्शा दुरूस्ती किया जाना उचित बताया है। इस प्रकार यह कहना अपीलान्ट का उचित नहीं है कि बिना मौका निरीक्षण किये उक्त कार्यवाही की गई है। तहत अदालत ने रिपोर्ट के परीक्षणोपरान्त रिकार्ड की दुरूस्ती को सही किया है जो न्यायोचित है। अपीलान्ट का यह कहना कि तहत अदालत को इस तरह दुरूस्ती किये जाने का अधिकार नहीं है वह गलत है क्यों कि धारा 136 एल आर एक्ट के अंतर्गत उपखण्डाधिकारी को वखूबी रिकार्ड दुरूस्ती किये जाने के अधिकार प्राप्त है। ऐसी सूरत में न्यायालय तहत द्वारा पारित आदेश जेरे अपील में किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है लिहाजा

Web Copy - Not Official

अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है। तहत अदालत द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.3.2003 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:–

> ''Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants''

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

''Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling The appeal''

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहत अदालत के समक्ष रैस्पोडेन्टस के द्वारा प्रस्तुत किये 136 एल आर एक्ट के प्रार्थनापत्र पर कार्यवाही करते हुये यह अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। दौराने पारित अपीलाधीन आदेश तहसीलदार भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई है जिसमें यह स्पष्ट है कि वर्तमान नक्शा किश्तवार में बन्दोबस्त विभाग द्वारा अंकित खसरा नम्बरान की आकृति बनाने में भिन्नता की गई है। जिसके आधार पर हाल खसरा नम्बर 10 व 11 में ऊपरी मेड में 10 मीटर व हाल खसरा नम्बर 61 की पूर्व से पश्चिम मेड 10 मीटर व इसकी ही दूसरी मेड 10 मीटर तथा खसरा नम्बर 55 की ऊपरी मेड 10 मीटर, खसरा नम्बर 44 की ऊपरी मेड 10 मीटर , खसरा नम्बर 43 की ऊपरी मेड 10 मीटर नक्शा किश्तवार में इसी ग्राम की सीमा को बढाया जाकर नक्शा दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि अपीलान्ट का कहना है कि अपीलाधीन आज्ञा का क्रियान्वयन होते ही अपीलान्टस के खातेदारी के रकबे प्रभावित होते है और उनका रकबा कम हो जाता है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के रकबे की कमी–वेशी के संदर्भ में स्पष्ट नहीं किया गया है न ही कोई विवेचना की गई है इसके अलावा उनको सुनवाई का कोई समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। वास्तव में यह प्रकरण ग्राम बहनेरा व ग्राम नगला दुल्हेराम की सीमा का विवाद है क्यों कि उभय–पक्षकारान के रकबा उक्त सीमा से सटे हुये है। न्यायियक मंशा के मध्यनजर ऐसे प्रकरणों में यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि किसी त्रुटी को दुरूस्त करते वक्त गांव का कुल रकबा एवं समीप

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के किसी अन्य व्यक्ति की खातेदारी प्रभावित न हो । इस प्रकरण में जिस तरफ रकबा बढाया गया है उस तरफ के खातेदारी रकबे के खातेदारान को सुना जाना न्यायोचित हो जाता है। तहत पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को दौराने 136 एल0आर0एक्ट कार्यवाही अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की अवहेलना है। लिहाजा प्रकरण पुनः जांच हेतु रिमाण्ड किये जाने योग्य ही रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.3.2003 निरस्त किया जाता है । उपखण्डाधिकारी भरतपुर को प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये सभी प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दोनों गांवों की सीमा एवं उनके कुल रकबे को ध्यान में रखते हुये बाद परीक्षण पुनः गुणावगुण के आधार पर तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 20.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official